निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 41/2020
दायरा दिनांकः—06.07.2020
निर्णय दिनांकः—24.09.2025

उनवान

1. भूली बाई आयु 65 वर्ष पुत्री किशोरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नानूखेडी
2. गुड्डी बाई आयु 42 पुत्री किशोरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कैलाश आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
2. रामसिंह आयु 70 पर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
3. बाबूलाल आयु 30 पर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
4. भाया आयु 40 वर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
5. हरफुल आयु 40 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीना निवासी नानूखेडी
6. चतरू आयु 30 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति मीना निवासी नानूखेडी
7. हेमराज आयु 30 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति मीना निवासी नानूखेडी
8. मोरपाल आयु 35 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारां 188 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः—24.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री उमाशंकर गोस्वामी — वादी
2. बालमुकंद खाण्डेलवाल — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा,188 आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि खसरा नम्बर 96 की रकबा 1 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 103 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 105 की रकबा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 106 की रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा खसरा नम्बर 156 की रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा खसरा नम्बर 194/1 की रकबा 08 बिस्वा खसरा नम्बर 213 की रकबा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 234 की रकबा 05 बिस्वा कुल किता 8 की रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 70 की रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा माल हफीजपुरा व माल नानूखेडी में वादनीगण के खातेदारी की आराजी स्थित है। प्रतिवादीगण लड़ाकू—झगड़ालू

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

प्रकार के व्यक्ति है. जी ताकत के बल पर लड़ाई–झगड़ा कर बादनीगण महिलाऐ होने के कारण वादनीगण के खातेदारी की आराजी पर वादनीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न कर नाजायज परेशान करते है. और वादनीगण को परेशान करते है. और वादनीगण को काश्त नहीं करने देते है। प्रतिवादीगण वादनीगण को बिना न्यायालय की सहायता से उनके खाते की आराजी पर काश्त नहीं करने देगे एवं वादनीगण को प्रतिवादीगण धमकिया देते है कि इस कृर्षि आराजी पर हम काश्त करेगे तुम्हें काश्त नहीं करने देगे यदि तुमने फसल बोई तो उसे भी नष्ट करके रहेगे। बिना न्यायालय की सहायता के प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किए जा रहे अवैध एवं गैरकानूनी तरीके से रोका जाना सम्भव नहीं है। वादनीगण को अधिकार प्राप्त है, कि वह न्यायालय की सहायता से प्रतिवादीगण को उनके द्वारा किए जा रहे गैरकानूनी कार्य को रूकवाकर स्थायी निषेधाज्ञा से निषिद करवा सके कि भविष्य में प्रतिवादीगण वादनीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर काश्त में दखल अंदाजी नहीं करे। वादनीगण के पास न्यायालय में वाद पेश कर प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अलावा अन्य कोई समीचीन रेमेड़ी उपलब्ध नहीं है। वाद कारण दिनांक 23/06/2020 को उपत्पन्न हुआ जब वादनीगण अपनी खातेदारी की आराजी पर काश्त कर रहीं थी, और प्रतिवादीगण ने काश्त करने में बांधा उत्पन्न की और मारपीट करने पर आमादा हुए और कहां कि भविष्य में तुमने काश्त की तो तुम्है, जान से मार डालेगे काश्त हम ही करते रहेगे, यह तारीख ही इस वाद की बिनाय दावा है।

वादीया का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी क्रम 1,5 ता 8 की ओर से जवाब पेश नही होने पर जवाब बन्द किया गया। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम नानूखेडी सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 10 पेश की गई। प्रतिवादी की ओर से इकरारनामा की छाया प्रति पेश की गई। साक्ष्य वादी में PW1 रामसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया।

प्रतिवादी क्रम 2 ता 4 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम में बताया कि खसरा नबर 106 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा में से 03 बीघा भूमि वादनीगण के पिता किशोरीलाल द्वारा अपनी पारिवारिक आवश्यक्ता हेतु दिनाक 29.04.2011 को प्रतिवादी रामसिंह के पक्ष में 2,25000/– रुपए में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा बेचाननामे में यह शर्त निहित थी कि उक्त आराजी वर्तमान में एस०बी०बी० जे० एडीबी शाखा में रहन है, रहन से मुक्त होने पर विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवा दूंगा। तब से प्रतिवादी रामसिह उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है। विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 106 में से 07 बीघा 13 बिस्वा में से 03 बीघा पर प्रतिवादी रामसिंह बतौर स्वामी काबिज है एवं इकरारनामे की शर्तों के अनुसार वादनी एवं अन्य सहखातेदारों का दायित्व है कि वे विवादग्रस्त आराजी में 03 बीघा भूमि का विकय विलेख भूमि को रहन से मुक्त कराकर प्रतिवादी रामसिंह के पक्ष में विक्रय विलेख पंजीबद्ध करवावें। वादनीगण द्वारा धारा 188 आर०टी०एक्ट स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि उक्त आराजी पर वादनीगण का कभी भी कब्जा कारत नहीं रहा है, वादनीगण स्थाई निषेधाज्ञा की आड़ में प्रतिवादी कम 1 ता 3 को जबरन खसरा नंबर 106 की 03 बीघा भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। इस कारण प्रतिवादीगण लगायत वादनीगण के विरुद्ध स्थाई. निषेधाज्ञा हेतु यह प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। वादनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में अन्य सहखातेदारान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बाबूलाल, धन्नालाल, गंगाराम पिसरान किशोरीलाल को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो आवश्यक पक्षकार है। वादनीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में पक्षकारों के असयोजन का दोष होने कारण वादनीगण का वाद खारिज किए जाने योग्य है।

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र आगे नही चलने के कारण वादी का वाद दिनांक 22.04.2025 को Not Press किया गया।

बहस अभिभाषक प्रतिवादी सुनी गई। बहस के अभिभाषक प्रतिवादी द्वारा काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील प्रतिवादी का कथन है विवादित आराजी ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा में स्थित है विवादित आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 7.13 बीघा भूमि में से 3.00 बीघा भूमि वादनीगण के पिता किशोरीलाल द्वारा अपनी पारिवारिक आवश्यकता हेतु दिनांक 24.04.2011 में प्रतिवादी रामसिंह के पक्ष में 225,000/– में बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। विक्रेता द्वारा भूमि रहन मुक्त कराने पर रजिस्ट्री कराने का वायदा किया था। प्रतिवादी रामसिंह इकरारनामें की शर्तों के अनुसार विवादित आराजी पर काबिज है उक्त इकरानामें के आधार पर वादनीगण को 3.00 बीघा भूमि की रजिस्ट्री प्रतिवादी क्रम 2 रामसिंह के पक्ष में करवानी चाहियें परन्तु वादनी मुताबिक इकरारनामा रजिस्ट्री कराने को तैयार नही है क्योकि विक्रेता किशोरीलाल की मृत्यु हो चुकी है विवादित आराजी वर्तमान में वादनी के खातेदारी है। वादनी को पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करें।

बहस अभिभाषक प्रतिवादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत फोटो प्रति इकरारनामा दिनांक 29.04.2011 साक्ष्य के तौर पर ग्राहय नही है। प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय इकरारनामा मूल पेश नही किया गया है तथा इकरारनामा की समय अवधि समाप्त हो चुकी है वादीयागण द्वारा धारा 188 आर0टी0एक्ट का वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया था। वादियागण द्वारा अपना वाद पत्र Not Press कर लिया गया। प्रतिवादीगण द्वारा काउन्टर क्लेम के माध्यम से चाहा गया अनुतोष नियमानुसार दिया जाना सम्भव नही है क्योकि वर्तमान खातेदार द्वारा भूमि का बेचान नही किया गया। बेचान रजिस्टर्ड दस्तावेज नही है फोटो प्रति पेश की गई। है जो दस्तावेज के तौर पर मान्य नही है। प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

नम्बर 194/1 का रकबा 08 बिस्वा,खसरा नम्बर 213 का रकबा 01 बिस्वा,खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक–डिक्री

वाद संख्या 41/2020	धारा 188 ,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः– 24.09.2025

समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**

उपस्थिति :अभिभाषकवादीः–श्री उमाशंकर गोस्वामी	अभिभाषक प्रतिवादीः– श्रीबालमुकन्द खण्डेलवाल

वाद शीर्षक

उनवान

1. भूली बाई आयु 65 वर्ष पुत्री किशोरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नानूखेडी
2. गुड्डी बाई आयु 42 पुत्री किशोरीलाल जाति मीना निवासी ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. कैलाश आयु 40 वर्ष पुत्र हीरालाल जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
2. रामसिंह आयु 70 पर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
3. बाबूलाल आयु 30 पर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
4. भाया आयु 40 वर्ष पुत्र धनरूप जाति मीना निवासी ग्राम बालापुरा
5. हरफुल आयु 40 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति मीना निवासी नानूखेडी
6. चतरू आयु 30 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति मीना निवासी नानूखेडी
7. हेमराज आयु 30 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति मीना निवासी नानूखेडी
8. मोरपाल आयु 35 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति मीना निवासीगण ग्राम नानूखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 24.09.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
छबडां जिला–बारां
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष			
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		